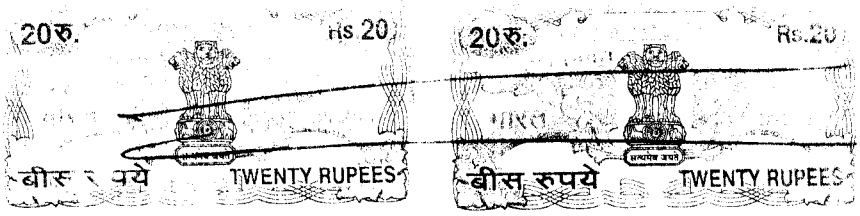

न्यायालय:- राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

(समक्ष केम्प कोर्ट इन्दौर)

अपील क्रमांक :- R-[illegible] प्रस्तुत दिनांक :- [illegible]

भावला उर्फ बावला पिता नत्थु जाति बलाई
निवासी ग्राम शिवना तहसील झिरन्या जिला खरगोन म.प्र. -- आवेदक

-: वि रू द्ध :-

छतरसिंह पिता शोभाराम जाति बलाई
निवासी ग्राम सुर्वा तहसील कसरावद जिला खरगोन म.प्र. -- अनावेदक

-: पुनरिक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत :-

आवेदक की ओर से निवेदन है कि :-

यह कि सदर पुनरिक्षण याचिका अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, झिरन्या के राजस्व प्रकरण क्रमांक 3A70/2013-14 में दिनांक 04-07-2014 को पारित आदेश, जिसके द्वारा अनावेदक का अंतरिम आवेदन धारा 32 का अस्वीकार कर निरस्त किया है जिससे व्यथित होकर यह पुनरिक्षण याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर [illegible] छत्तरसिंह

[illegible] 2298-पीबीआर, 2014 जिला खरगोन

[illegible]-2014 आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया [illegible] तहसीलदार के आदेश दिनांक [illegible]-4-2014 [illegible] की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश के देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में इसमें आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 32 के अंतर्गत इस आशय का [illegible] है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका [illegible] पुराना कब्जा है इसलिये संहिता की धारा 250 आकर्षित नहीं होती है। अतः प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं होने से [illegible] किया [illegible] निकाला गया। [illegible] संलग्न [illegible] से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि [illegible] स्वामित्व की भूमि है और उसे कब्जा वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। [illegible] संपूर्ण साक्ष्य नहीं आ जाता है तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता है। उपरोक्त [illegible] तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से [illegible] की जाती है।

(स्वदीप सिंह)

अध्यक्ष